(क) क्या यह सच है कि सरकार ने परिवहन के विकास के लिए 839 करोड़ रु० व्यय करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कि 13 फरवरी, 1970 को दिल्ली में परिवहन विकास परिषद की एक बैठक हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसमें किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिए संख्य LT—2941/70]

Financial Assistance to U.N.E.S.C.O., Other Organisations and Individuals for spreading Gandhian Ideals in Foreign Countries

*566. SHRI G.Y. KRISHNAN : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether any financial assistance has been provided to the U.N.E.S.C.O. and other organisations and individuals who have been working in spreading the Gandhian ideas in foreign countries ; and

(b) the Names of such organizations and individuals and the amount of assistance provided to them during the Gandhi Centenary Year ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V.K.R.V. RAO) : (a) and (b). A statement is placed on the Table of the House.

Statement

No financial assistance has been given to the UNESCO or any other organization or any individual working in spreading Gandhian ideas in foreign countries. However, the Sub-Committee of the National Committee for the Gandhi Centenary in charge of the Centenary celebrations abroad has so far incurred an expenditure of Rs. 20.28 lakhs on its work is organising the Centenary celebrations abroad. The Sub-Committee has furnished different kinds of material on Gandhiji mostly to Indian Missions abroad and in a few cases to UNESCO's National Commissions in certain countries. Much of this material has been passed on by the Indian Missions etc. to organisations and individuals in the countries concerned interested in the observance of the Gandhi Centenary. The material sent abroad include the following :—

(1) 341 kits (each kit is a portable exhibition packed in a wooden box) on Mahatma Gandhi.

(2) 30,730 books by or on Gandhiji. Most of the books were in English, but some in French, Arabic, Spanish and German were also distributed.

(3) 50 photographic exhibitions, each consisting of 100 large photographs of Gandhiji, depicting different aspects of his life.

(4) Two busts of Gandhiji, on each to Itiay and Norway have been supplied. Half the cost of a large oil painting of Gandhiji for the Gandhiji Memorial Library in Bangkok has been met by the Sub-Committee.

(5) Commemorative coins and badges have been supplied to certain countries.

2. A print of the film "Mahatma" has been presented to UNESCO by National Committee for the Gandhi Centenary. The Ministry of External Affairs have sent films on Gandhiji to several countries.

3. Fifteen of the 17 prize winners in the International Essay Competition on Mahatma Gandhi have been given free air

travel to and back from India and one month's hospitality in India at the expense of the Sub-Committee. The remaining two prize winners have not been able to come to India.

4. Twelve eminent persons who could speak with authority on Gandhiji were deputed by the Sub-Committee to foreign countries to speak on Gandhiji, his life, work and philosophy.

सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों में हरिजनों के लिए पदों का आरक्षण

*567. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों में हरिजनों के लिए पदों के आरक्षण के लिए कुछ निदेश दिये हैं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त निदेशों के कार्यान्वयन के मार्ग में कुछ कानूनी कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उक्त निदेश का ब्यौरा क्या है और उन कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या सरकार उक्त निदेशों को न केवल हरिजनों के मामले में, अपितु देश में सभी भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में भी कार्यान्वित करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम ब्योरो द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों को सरकारी उद्यमों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण करने के लिये सरकारी उद्यमों को जारी किये जाने के लिए सितम्बर, 1969 में एक प्रारूप निदेश भेजा गया था तथा प्रशासनिक मंत्रालयों ने उक्त आदेश को उनके अधीन बहुत से उद्यमों को जारी कर दिया है । चूंकि गैर-सरकारी प्रतिष्ठान सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं हैं अतः ऐसे प्रतिष्ठानों को उनकी सेवाओं मे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण करन के सम्बन्ध में कोई निदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त निर्देश प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपने अधीन सरकारी उद्यमों को यदि सम्बन्धित संस्थान के अन्तर्नियम या कानून इत्यादि ऐसे निदेश देने की अनुमति देते हैं तो आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात जारी किये जाने हैं । अन्य सरकारी उद्यमों के मामले में संस्थान के अन्तर्नियमों में अथवा कानून इत्यादि में उनको ऐसे निर्देश जारी करने के समर्थ बनाने हेतु संशोधन करने के लिये कार्यवाही प्रशासनिक मंत्रालयों को करनी है । उल्लिखित निर्देश के कार्यान्वयन में कोई अन्य कानूनी बाधा सरकारी उद्यम ब्यूरो के ध्यान में नहीं लाई गई हैं । उल्लिखित निर्देश प्रारूप की मुख्य बातें बताने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है । [**ग्रन्थालय में रख दिया गया । देखिए** संख्या LT—2942/70]

(घ) सरकारी उद्यमों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों । अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था करने का निर्णय सरकार की उस नीति के अनुसार है जिसके अनुसार संविधान के उपबन्धों पर आधारित सरकार के अधीन सेवाओं में इन समुदायों के लिए आरक्षण किया गया है । सरकार के अधीन सेवाओं में किसी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है और इस-